राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी संख्या – 1353/2017/जोधपुर

राजस्थान सरकार जरिये उप पंजीयक–तृतीय,
जोधपुर .....प्रार्थी

बनाम

1. मैसर्स इन्द्रा सह कृषि फॉर्म, जरिये पार्टनर
   श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री लीलाधर जैन,
   निवासी– 116, कान्ती नगर, पाल रोड़, जोधपुर
2. श्री प्रकाश जैन पुत्र श्री लीलाधर, निवासी–117,
   कान्ती नगर, पाल रोड़, जोधपुर
3. श्रीमती आकांक्षा जैन पत्नी श्री प्रकाश जैन, ...अप्रार्थीगण
   निवासी–117, कान्ती नगर, पाल रोड़, जोधपुर

खण्डपीठ

श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

श्री ओमकार सिंह आशिया, सदस्य

उपस्थित : :

श्री जमील जई,
उप–राजकीय अभिभाषक .....राजस्व की ओर से.

श्री रोहित सोनी, अभिभाषक .....अप्रार्थीगण की ओर से.

दिनांक : 17/12/2018

निर्णय

1. यह निगरानी प्रार्थी राजस्व द्वारा कलक्टर (मुद्रांक), जोधपुर (जिसे आगे **'कलक्टर मुद्रांक'** कहा गया है) के प्रकरण संख्या 356/2016 आदेश दिनांक 31.05.2017 के विरूद्ध राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 (जिसे आगे **'मुद्रांक अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 65 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है, जिसमें कलक्टर (मुद्रांक) ने उप पंजीयक द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स को अस्वीकार किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अप्रार्थी संख्या 1 की पूर्व में संचालित भागीदारी फर्म (Partnership firm) में अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को शामिल करते हुए दिनांक 01.03.2013 को 500/– रूपये के स्टाम्प पर भागीदारी विलेख (Partnership deed) निष्पादित किया गया। तत्पश्चात महालेखाकार जांच दल द्वारा रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के कार्यालय के निरीक्षण के दौरान ने उक्त पार्टनरशिप डीड का पंजीयन नहीं होने के आधार पर अधिनियम के आर्टिकल 43 के तहत उसे कन्वेंस मानते हुए ऑडिट आक्षेप बनाया, जिसके आधार पर उप पंजीयक ने कलक्टर मुद्रांक के समक्ष रैफरेन्स प्रस्तुत किया जिसे अस्वीकारते हुए कलक्टर मुद्रांक ने

निरन्तर.....2

पार्टनरशिप डीड को आर्टिकल 43(2)(बी) के तहत मानते हुए रूपये 500/– के स्टाम्प पर लिखित को विधिनुरूप माना। उक्त आदेश के विरूद्ध विभाग द्वारा यह निगरानी मय मियाद अधिनियम की धारा 5 के तहत देरी माफी के प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत की गई है।

3. राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में महालेखाकार जांच दल के आक्षेप के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी फर्म के मध्य दिनांक 01.03.2013 को निष्पादित भागीदारी विलेख पर आक्षेपानुसार राशि वसूली योग्य है। उनका यह भी कथन है कि वादग्रस्त दस्तावेज में महालेखाकार जांच दल द्वारा दर्ज ऑडिट आक्षेप सही एवं उचित होने से अप्रार्थीगण से आक्षेपानुसार देय बकाया राशि मय जुर्माना वसूल करने के आदेश प्रदान करावें। उन्होंने प्रस्तुत निगरानी को स्वीकारते हुए कलक्टर मुद्रांक द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.05.2017 खारिज करने का निवेदन किया।

4. अप्रार्थीगण की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि वर्ष 1981 में ग्राम कुड़ी भगतासनी के खसरा नम्बर 95 एवं 94 में स्थित कृषि भूमि मैसर्स इन्द्रा सहकृषि फार्म के नाम से क्रय की जाकर दस्तावेज दिनांक 25.03.1982 को पंजीयन कराया गया था तथा उक्त भूमि वर्तमान में भी राजस्व रेकॉर्ड में मैसर्स इन्द्रा सहकृषि फार्म के नाम से दर्ज है। उक्त भागीदारी विलेख आपस में परिवार द्वारा लिखित किया गया है एवं भागीदारों के मध्य किसी प्रकार की राशि तथा अचल सम्पत्ति का हस्तान्तरण नहीं हुआ है और न ही कोई प्रतिफल का लेनदेन हुआ है, ऐसी स्थिति में महालेखाकार के आक्षेप पर प्रस्तुत रैफरेन्स बेबुनियाद एवं न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से यह खारिज किये जाने योग्य ही था। पूर्व में चली आ रही भागीदारी फर्म में माँ ने अपने पुत्र एवं पुत्रवधू को फर्म में केवल शामिल किया है, जिसके लिये रूपये 500/– के स्टाम्प पर लिखित पर्याप्त है एवं यह अधिनियम के अनुच्छेद 43(2)(बी) से आच्छादित है। मैसर्स इन्द्रा सहकृषि फार्म ही अधिकृत मालिक है तथा उक्त खरीद कृषि भूमि का दस्तावेज दिनांक 25.03.82 को पंजीयन करवाकर नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी अदा की जा चुकी है। यह भी कथन किया कि फर्म मैसर्स इन्द्रा सहकृषि फार्म दिनांक 03.12.1981 से अस्तित्व में है तथा उक्त फर्म के संविधान में कुछ परिवर्तन किया गया तथा

निरन्तर.....3

श्रीमति कमलादेवी सन् 1986 में एवं श्री प्रकाश जैन व श्रीमति आकांक्षा जैन वर्ष 2013 में उक्त फर्म में पार्टनर बने। अप्रार्थी ने अपने जवाब में यह भी अभिकथन किया है कि किसी भी पार्टनर ने उक्त फर्म में भागीदार बनते समय किसी प्रकार का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन (contribution) उक्त भागीदारी या फर्म की भूमि के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर नहीं किया है और न ही रिटायर होते समय किसी प्रकार का कन्ट्रीब्यूशन व प्रतिफल प्राप्त किया है एवं मैसर्स इन्द्रा सहकृषि फार्म आज दिन तक अस्तित्व में हैं तथा उक्त फर्म का किसी प्रकार का विघटन (Dissolution) नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में महालेखाकार जांच दल द्वारा अचल सम्पत्ति की मार्केट वैल्यू पर स्टाम्प ड्यूटी सम्बन्धी आक्षेप के आधार पर रिवीज़न पेश करना न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। अतः उन्होंने प्रस्तुत निगरानी को अस्वीकारते हुए कलक्टर मुद्रांक के आदेश को बहाल करने का निवेदन किया।

5. हमने प्रकरण के दस्तावेज में वर्णित तथ्यों, अप्रार्थी के जवाब के तथ्यों एवं प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ–साथ अप्रार्थी वकील द्वारा बहस के दौरान सन्दर्भित किये गये आर्टिकल 43 एवं मुद्रांक अधिनियमों के सन्दर्भित प्रावधानों का अध्ययन एवं परीक्षण करते हुए उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। पार्टनरशिप के प्रलेखों (instrument of partnership) के सम्बन्ध में दिनांक 26.03.2012 से प्रभावी आर्टिकल 43 निम्न प्रकार है :–

"

43. Partnership (1) Instrument of partnership,-	
(a) Where there is no share contribution in partnership or where such share contribution brought in by way of cash does not exceed Rs, 50,000/-,	Two thousand rupees.
(b) where such share contribution in by way of cash is in excess of Rs. 50,000/-, for every Rs, 50,000/- or part there of;	Two thousand rupees, subject to maximum duty of rupees ten thousand.
(c) where such share contribution is brought in by way of immovable property.	**The same duty as on conveyance (No. 21) on the market value of such property.**
(2) Dissolution of partnership or retirement of partner-,	
(a) where on a dissolution of the partnership or on retirement of a partner and property is taken as his share by a partner other than a partner who brought in that property as his share of contribution in the partnership;	The same duty as on conveyance (No. 21) on the market value of such property. subject to a minimum of rupees one hundred.

निरन्तर.....4

(b) In any other case.	**Five hundred rupees.**

"

6. पत्रावली पर उपलब्ध पार्टनरशिप डीड दिनांक 01.03.2013 के अवलोकन से स्पष्ट है कि मैसर्स इन्द्रा सह कृषि फार्म नामक भागीदारी फर्म प्रथम बार दिनांक 03.12.1981 को गठित की गई थी जिसमें कुल दस भागीदार थे। कालान्तर में फर्म के संगठन में विभिन्न परिवर्तन हुए तथा दिनांक 29.06.1987 को अन्य पार्टनर्स के रिटायर हो जाने के कारण उक्त फर्म एकल स्वामित्व संस्था (sole proprietorship concern) में परिवर्तित हो गई जिसकी एकल स्वामिनी श्रीमती कमला देवी थी, अर्थात् दिनांक 29.06.1987 से उक्त मैसर्स इन्द्रा सह कृषि फर्म नामक पार्टनरशिप फर्म अस्तित्व में नहीं रही तथापि एकल स्वामित्व इकाई इसी नाम से अस्तित्व में रही। यह भी उल्लेखनीय है कि नवीन पार्टनरशिप डीड दिनांक 01.03.2013 में उक्त एकल स्वामित्व संस्था की स्वामिनी श्रीमती कमला देवी पत्नी स्व. श्री लीलाधर जैन ने दो अन्य पार्टनर्स श्री प्रकाश जैन पुत्र स्व. श्री लीलाधर जैन तथा श्रीमती आकांक्षा जैन पत्नी श्री प्रकाश जैन के साथ भागीदारी फर्म का गठन किया जिसमें उक्त पार्टनर संख्या 1 श्रीमती कमला देवी ने अपने एकल स्वामित्व की फर्म मैसर्स इन्द्रा सह कृषि फार्म की सभी सम्पत्तियां एवं इसके सभी दायित्वों (all the assets and liabilities) को उक्त फर्म में पूंजी योगदान के रूप में सुपुर्द कर दिये गये। इन तथ्यों से स्पष्ट है कि पूर्व में श्रीमती कमला देवी के एकल स्वामित्व की फर्म में 73 बीघा 3 बिस्वा भूमि थी जिसमें से 40 बीघा 2 बिस्वा भूमि मैसर्स इन्द्रा ऑर्गेनिक फार्म नामक एक अन्य फर्म में पूर्व में contribute कर दी गई थी एवं शेष 32.5 बीघा भूमि को दिनांक 01.03.2013 से गठित नई पार्टनरशिप फर्म मैसर्स इन्द्रा सह कृषि फार्म में पार्टनर के योगदान के रूप में contribute किया है।

7. इस सम्बन्ध में प्रश्नगत पार्टनरशिप डीड दिनांक 01.03.2013 के मुख्य अंश पर दृष्टिपात करना आवश्यक है जो निम्नानुसार पुनरूल्लिखित हैः–

> *"ON THE TERMS AND CONDITIONS SET FORTH HEREINAFTER:*
> *WHEREAS.....*
> *WHEREAS.....*
> ***AND WHEREAS, the first party referred to above had also agreed to contribute all the assets and liabilities of M/s Indra Sah Krishi Farm, as on 28th February, 2013, at its book value to the firm which shall be treated as capital contribution of the first party to the firm.***

निरन्तर.....5

AND WHEREAS, originally the firm M/s Indra Sah Krishi Farm was formed on 3.12.1981 consisting of ten partners. The said partners purchased a agriculture land in accordance with the registered sale deed at K.No. 95 and 94 measuring about 73 bighas 3 biswa at Kudi Bhagtasni, Jodhpur. Thereafter, six partners retired from the said firm and the firm was continued with the four partners in accordance with the deed executed on 10th September 1984. There was further change in the constitution of the firm on 10th June 1984 and 2nd October 1984 and the firm was reconstituted w.e.f. 2nd October 1984. There was further reconstitution of the firm on 26th November 1986 and two partners namely Smt. Kamla Devi and Sh. Pukh Rajji took over the business of the firm. ***On 29th June 1987 Sh. Pukh Rajji also retired from the said firm and Smt. Kamla Devi became the sole proprietor and took over the running business of the said firm as proprietor****. The first party had already contributed 40.2 bigha, out of land at K.No. 94 and 95 at Kudi Bhagtasni, Jodhpur in M/s Indira Organic Farm, and the balance agriculture land of about 32.5 at K.No. 95 Kudi Bhagtasni, Jodhpur is with the first party and she is the absolute owner of the said agriculture land."*

"NOW THIS DEED OF PARTNERSHIP WITNESSES AS UNDER:

1. *That the business of partnership firm shall be carried on under the name and style of M/s. Indra Sah Krishi Farm Jodhpur or under any other name as may be mutually decided between the parties from time to time.*
2. ***The partnership shall be effective from 1st day of March, 2013.***
3. .....
4. .....
5. ***That the first party had been carrying on the business of agriculture activities, farming and ware housing under her proprietorship under the name of style of M/s Indra Sah Krishi Farm, Jodhpur which she has agreed to contribute as her capital contribution to the firm****, and henceforth all assets and liabilities as on 28th day of February, 2013 of the said M/s Indra Sah Krishi Farm, Jodhpur has been taken over by this firm at its book value as on 1.3.2013.* ***Henceforth the firm shall be the absolute owner of all the assets and shall be responsible for all the liabilities of the said concern so taken over.****"*

8. उक्त पार्टनरशिप डीड के पठन से स्पष्ट है कि दिनांक 29.06.1987 से श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री लीलाधर जैन उक्त व्यावसायिक संस्थान

निरन्तर.....6

मैसर्स इन्द्रा सह कृषि फार्म की एकल स्वामिनी (sole proprietor) थी तथा उनके पास खसरा नम्बर 95, कुड़ी भगतासनी स्थित 32.5 बीघा कृषि भूमि का पूर्ण स्वामित्व था। पार्टनरशिप डीड दिनांक 01.03.2013 के द्वारा उक्त श्रीमती कमला देवी द्वारा अपने एकल स्वामित्व की व्यावसायिक फर्म मैसर्स इन्द्रा सह कृषि फार्म, जोधपुर की समस्त सम्पत्तियां एवं दायित्व (all the assets and liabilities) नवसृजित पार्टनरशिप फर्म में अपने हिस्से के अंशदान (contribution) के रूप में देना स्वीकार किया है। अतः प्रभावी रूप से उक्त श्रीमती कमला देवी के स्वामित्व की 32.5 बीघा कृषि भूमि नवसृजित पार्टनरशिप फर्म में उनके अंशदान के रूप में दिये जाने के कारण उक्त परिसम्पत्ति हस्तान्तरण पर अनुसूची के आर्टिकल 43(1)(c) के अनुसार स्टाम्प ड्यूटी देय है।

9. उपरोक्त विवेचनानुसार उक्त पार्टनरशिप डीड के क्रम में स्टाम्प ड्यूटी देयता सम्बन्धी अनुसूची के आर्टिकल 43 का अवलोकन करने के पश्चात् यह निर्णीत किया जाता है कि चूंकि पार्टनर संख्या 1 श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री लीलाधर जैन द्वारा नवीन पार्टनरशिप में अपने हिस्से का अंशदान (contribution) अचल सम्पत्ति के रूप में लाया गया है जिस कारण से प्रश्नगत प्रलेख (instrument) आर्टिकल 43(1)(c) के अन्तर्गत कर योग्य है न कि आर्टिकल 43(2)(b) के अन्तर्गत। इस प्रकार कलक्टर (स्टाम्प) ने इसे आर्टिकल 43(2)(b) से आच्छादित मानते हुए उसके समक्ष प्रस्तुत रैफरेन्स को अस्वीकार करने में तथ्यों एवं विधि की भारी त्रुटि की है, जिस कारण से निगरानी अधीन आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

10. इस सम्बन्ध में जहां तक अप्रार्थी द्वारा उद्धरित किये गये कर बोर्ड के निर्णय– ए.आर.जी. डवलपर्स प्रा. लि. बनाम राज्य सरकार, निर्णय दिनांक 04.07.2017 का प्रश्न है, उक्त सन्दर्भित प्रकरण में भागीदारी विलेख वर्ष 2007 से सम्बन्धित था, जिसमें तत्समय प्रचलित प्रावधानों के अनुसार देय स्टाम्प ड्यूटी रू. 500/– होना निर्णीत किया गया है, परन्तु वित्त अधिनियम, 2012 के द्वारा मुद्रांक अधिनियम में किये गये संशोधन के पश्चात् अनुसूची के आर्टिकल 43 के यथा संशोधित प्रावधान ही प्रस्तुत प्रकरण में लागू होंगे क्योंकि प्रश्नगत भागीदारी विलेख वर्ष 2013 का है। अतः सन्दर्भित प्रकरण के तथ्य मौजूदा प्रकरण के तथ्यों से भिन्न होने से उक्त संदर्भित निर्णय प्रस्तुत प्रकरण में लागू नहीं किया जा सकता है।

निरन्तर.....7

11. उपरोक्त विवेचनानुसार कलक्टर मुद्रांक द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.05.2017 तथ्यात्मक एवं विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से अपास्त किया जाता है तथा विभाग द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है। कलक्टर मुद्रांक को निर्देशित किया जाता है कि वह इस निर्णय का प्रभाव देते हुए प्रश्नगत प्रलेख (instrument) के सम्बन्ध में आर्टिकल 43(1)(c) के अनुसार स्टाम्प ड्यूटी की गणना कर आवश्यक आदेश जारी करते हुए नियमानुसार वसूली की कार्यवाही करे।

12. निर्णय सुनाया गया।

17.12.2018

(ओमकार सिंह आशिया)
सदस्य

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य